राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 85/2011

बृजमोहन पुत्र मोडूलाल जाति मीणा निवासी हरसौली तहसील मांगरोल जिला बारां
....... प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)
....अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट**

पीठासीन अधिकारी : श्री हिम्मता राम मेहरा (आरएएस)
वकील प्रार्थी : श्री लिहाज हुसैन अंसारी
दायरा दिनांकः 01.02.2011 निर्णय दिनांक : 07.07.2017

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की आराजी ग्राम हरसोली तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसके साबिक खाता संख्या 39 खसरा नं0 44 रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं0 63 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा खसरा नं0 90 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा खसरा नं0 255 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं0 272 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं0 284 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नं0 308 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं0 309 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नं0 319 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं0 360 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 24 बीघा 9 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट वर्तमान खाता संख्या 54 खसरा नं0 15 रकबा 0.28 है0, खसरा नं0 215 रकबा 1.82 है0, खसरा नं0 315 रकबा 0. 05 है0 खसरा नं0 324 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 343 रकबा 0.24 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.43 है0 आराजी ग्राम हरसौली तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित है। जो कायम किये गये जिसकी पुष्टि जमाबंदी 2060 से 2063 से होती है। सेटलमेंट कार्मिको ने सहवन से प्रार्थी के खाते की आराजी खाता संख्या 91 की आराजी 18 बीघा 19 बिस्वा थी, जिसको बाद सेटलमेंट खसरा नं0 230 रकबा 2.59 है0 दर्ज किया, जो गत रकबे के मुकाबले 0.48 है0 कम दर्ज किया गया। इसी तरह खाता संख्या 39 में साबिक रकबा कुल किता 10 रकबा 24 बीघा 9 बिस्वा था। जिसको बाद सेटलमेंट नये नम्बर दर्ज करते समय कुल किता 5 रकबा 2.34 है0 दर्ज किया गया, जबकि 24 बीघा 9 बिस्वा का 3.96 है0 दर्ज होना चाहिये था, उसकी जगह मात्र 2.43 है0 दर्ज किया गया, जो गत रकबे से 1.53 है0 कम दर्ज किया गया जिसको प्रार्थी पूरा करवाने का अधिकारी है। अतः खाता संख्या 39 कुल किता 10 रकबा 24 बीघा 9 बिस्वा को वर्तमान खसरा नम्बरान कुल किता 5 रकबा 2.43 है0 के कमी रकबा 1.53 है0 की पूर्ति करते हुये 3.96 है0 दर्ज

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

किये जाने का आदेश प्रदान करें व साथ में खाता संख्या 52 में खसरा नं0 230 रकबा 2.59 है0 में कमी रकबा 0.48 है0 की पूर्ति करते हुये पूर्व साबिक रकबा 18 बीघा 19 बिस्वा अर्थात 3.07 है0 दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त संबंध में तहसीलदार मांगरोल से जॉच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मांगरोल ने अपने पत्रांकः भू.अ./2016/केम्प बोहत/16/2504 दिनांक 28.07.2016 के द्वारा अंकन किया कि ग्राम हरसोली में खाता संख्या 55 बृजमोहन पुत्र मोडू मीना के खसरा नं0 15 रकबा 0.28 है0, खसरा नं0 215 रकबा 1.82 है0, खसरा नं0 230 रकबा 2.59 है0, खसरा नं0 315 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 324 रकबा 0.04 है0 किता 5 रकबा 4.78 है0 भूमि रेकार्ड में दर्ज है बृजमोहन द्वारा खसरा नं0343 रकबा 0.24 है0 भूमि जर्ये रजिस्टर्ड नामा0 सं0 203 से मिथलेश पत्नि हरिओम मीना को बेचान कर दी है। नये पुराने नक्शा रेकार्ड का मिलान करने पर 0.60 है0 की कमी पाई गई लेकिन मौका व रेकार्ड के अनुसार आसपास के खसरा नम्बरान में कोई बढा हुआ रकबा गत की तुलना में नही मिला अतः कमी रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही है।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी ने बाद सेटलमेंट हुई कमी रकबे की पूर्ति करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी के समीपस्थ किसी भी खसरा नम्बरान में रकबा बढा हुआ नही है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह भी स्पष्ट नही किया है कि कमी रकबे की पूर्ति किस खसरा नम्बर से की जानी है। तथा ना ही मिलान क्षेत्रफल संलग्न किया है। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2017 को राजस्व लोक अदालत कोर्ट केम्प हिंगोनिया मजमेंआम में सुनाया गया।

(हिम्मता राम मेहरा)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल